महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 72वीं बैठक

दिनांक : 28.08.2010 **प्रातः 11:30 बजे**

प्रबंध बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 28.08.2010 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबंध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री एम..एल.पीतलिया, भीलवाड़ा (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3.	प्रो. के.के..शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4.	प्रो0 एस.एन.सिंह, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
5.	डॉ० रघुनंदन शर्मा (डॉ० रघु शर्मा), विधायक, केकड़ी (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
6.	प्रो. रमाकान्त, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
7.	श्री तपेश पंवार (शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर)	सदस्य
8.	श्री बी.एल.सुनारिया, कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

1.	संभागीय आयुक्त (शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि)	सदस्य
2.	श्री कमल बैरवा, विधायक, निवाई (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
3.	प्रो. पी.एस.वर्मा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
4.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
5.	निदेशक (आयुक्त), महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। माननीय ने प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों से प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही संपादित करने में सहयोग की अपेक्षा की, तदुपरांत प्रबंध बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरांत प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं. 1	दिनांक 26.05.2010 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की 69वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (अनुपालना रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जायेगी) **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–I)**	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि अनुपालना रिपोर्ट कार्यसूची के साथ ही भिजवायी जावे साथ ही यह भी कहा कि कार्यसूची हमेशा ए–4 कागज पर ही भिजवायी जावे। साथ ही प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 26.05.2010 के निर्णय सं0 4 के क्रम में वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.2010 को सम्पन्न 28वीं बैठक के कार्यवृत के निर्णय सं0 10 को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया कि चिकित्सकों के पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित वित्त समिति की जो अनुशंषा है, वह स्वीकार नहीं है। वित्त समिति का शेष कार्यवृत अनुमोदित किया गया साथ ही सेल्फ फाइनेन्स के बजट को विश्वविद्यालय बजट का एक भाग मानकर सम्पूर्ण बजट एक साथ बनाने हेतु निर्देशित किया।**	
मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 05.08.2010 को सम्पन्न हुई 71वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (71) शैक्षणिक–I/मदसविवि/ 2010/ 28921–33 दिनांक 14.08.10 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि निर्णय सं0 20 निम्नानुसार पढ़ा जावे : वर्ष 2009–10 में महाविद्यालयों को कम्प्यूटर कोर्सेज में शिक्षकों की निर्धारित योग्यता में शिथिलता प्रदान कर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने का निर्णय किया गया। साथ ही वर्ष 2010–11 में शिक्षकों की योग्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए सीटों का आवंटन व वृद्धि की जा सकती है । इस हेतु एम.टेक. तथा एम.सी.ए. के साथ ही फिजिक्स, मेथेमेटिक्स तथा स्टेटिस्टिक्स विषय पढाने वाले योग्यताधारी शिक्षक भी बी.सी.ए. पी.जी.डी.सी.ए., बी.एससी. आई.टी जैसे कम्प्यूटर आधारित कोर्स का अध्ययन करा सकेंगे। सत्र के दौरान महाविद्यालय योग्यताधारी शिक्षकों को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योग्यता निर्धारित है, के अनुसार नियुक्त करने की कार्यवाही करे। कार्यवाही रिपोर्ट जैसे विज्ञापन राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करवाकर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करवायें अन्यथा 2011–12 से महाविद्यालय के लिए सभी प्रकार के बी.सी.ए. पी.जी.डी.सी.ए., बी.एससी. आई.टी जैसे इन पाठयक्रमों की महाविद्यालय से संबद्धता समाप्त हो जायेगी।**	

मद सं. 3 दिनांक 05.08.2010 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की 71वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (अनुपालना रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जायेगी) **(कार्यसूची की परिशिष्ठ–II)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**

मद सं. 4 प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 06 दिनांक 26 मई, 2010 के क्रम में टेनिस प्रतियोगिता 2009–10 दिनांक 2 से 7 जनवरी, 2010 के दौरान की गयी टेंट व्यवस्था की क्रय व आपूर्ति आदेश प्रक्रिया में कमियां होने, व प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण भुगतान में हो रही कठिनाईयों पर विचार कर निर्णय करने हेतु प्रो. पी.एस. वर्मा के संयोजकत्व में गठित समिति के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(परिशिष्ठ–III)** (परिशिष्ठ अलग से प्रेषित की जायेगी) **स्पोर्टस बोर्ड**

निर्णय **उक्त समिति की बैठक नहीं होने के कारण मद स्थगित किया गया।**

मद सं. 5 प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 02 दिनांक 17 जुलाई, 2010 के क्रम में वर्ष 1997 के बाद जिन कार्मिकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है, की जाँच हेतु प्रो. एस.एन. सिंह के संयोजकत्व में गठित समिति के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–IV)** (परिशिष्ठ अलग से प्रेषित की जायेगी) **संस्थापन**

निर्णय **विश्वविद्यालय में वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संधारण हेतु कुलसचिव कार्यालय में एक अलग सेल के गठन का निर्णय किया गया। सत्र 2010–11 से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का नया प्रपत्र तैयार करने हेतु निर्णय किया गया तथा पुरानी ए.सी.आर. भरवायी जावें व उपलब्ध ए.सी. आर. को आधार माना जावे तथा जिन कार्मिकों की ए.सी.आर. भरी गयी हैं परंतु विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उनका सर्च वारंट जारी किया जावे। सर्च वारंट के 10 दिनों के बाद भी यदि ए.सी.आर. उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो पुलिस में गोपनीय दस्तावेज गायब होने बाबत प्राथमिकी दर्ज करायी जावे।**

मद सं. 6 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की Special Area Demonstration Programme (SADP) के अंतर्गत राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में स्थापित किये जाने हेतु एम.ओ.यू. की शर्तो **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–V)** पर विचार करना । **डीन, छात्र कल्याण**

निर्णय **नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की Special Area Demonstration Programme (SADP) के अंतर्गत राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में स्थापित करने हेतु प्रस्तुत एम.ओ.यू. को स्वीकार किया गया तथा इस हेतु वि.वि. में भूमि उपलब्ध कराने एवं अन्य शर्तों की स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 7 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 22 तथा निर्णय निम्नानुसार है– **सामान्य प्रशासन**

मद– विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों को वर्तमान में देय वर्दी अलाउन्स रू0 910/–प्रति कार्मिक ठण्डी वर्दी के लिए प्रति वर्ष और गर्म वर्दी के लिए दो वर्ष में एक बार सत्र 2002–03 से दिया जा रहा है । कर्मचारियों की मांग कि वर्दी अलाउन्स की उक्त राशि में 50 प्रतिशत वृद्वि की जाए, पर विचार करना ।

निर्णय–राज्य सरकार से उनके यहॉ पर दिए जा रहें उक्त अलाउन्स की राशि के बारे मे जानकारी की जावें एवं अन्य विश्वविद्यालयों से भी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करें ।

उक्त निर्णय के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वहां सहायक कर्मचारियों की ठण्डी एवं गर्म वर्दी के दरे क्रमशः रूपये 726/–एवं 1176/–रूपये है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VI)**

सहायक कर्मचारियों की ठण्डी एवं गर्म वर्दी के अलाउन्स में वृद्वि पर विचार करना ।

निर्णय **सहायक कर्मचारियों की ठण्डी वर्दी की राशि रू0 1100/–(अक्षरे रू0 ग्यारह सौ मात्र)एवं गर्म वर्दी की राशि रू0 1100/–(अक्षरे रू0 ग्यारह सौ मात्र)करने का निर्णय किया गया।**

मद सं. 8 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 23 तथा निर्णय निम्नानुसार है– **सामान्य प्रशासन**

मद– विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों को वर्तमान में देय जूता अलाउन्स की राशि रूपये 234/– प्रति कर्मचारी, सेण्डल अलाउन्स राशि रूपये 110.50 प्रंति महिला कर्मचारी, मोजा अलाउन्स रूपये 32.50 प्रति कर्मचारी, धुलाई भत्ता 59/– रूपये प्रति माह और मशीन मैन को एप्रिन एलाउन्स रूपये 300/– प्रति वर्ष सत्र 2002–03 से दिया जा रहा है । इन राशियों मे कर्मचारियों की मांग की 50 प्रतिशत की वृद्वि की जाये, पर विचार करना ।

निर्णय– राज्य सरकार से उनके यहॉ पर दिए जा रहें उक्त अलाउन्स की राशि के बारे में जानकारी की जावें एवं अन्य विश्वविद्यालयों से भी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करें ।

उक्त निर्णय के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वहां सहायक कर्मचारियों की सेण्डिल एवं जूतो की दरे क्रमशः रूपये 220/– एवं 330/–रूपये है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VII)**

सहायक कर्मचारियों के उक्त अलाउन्स मे वृद्वि पर विचार करना ।

निर्णय **सहायक कर्मचारियों के उक्त अलाउंस में वृद्धि करते हुए सहायक कर्मचारियों को जूता अलाउंस रू0 350/–, सेण्डिल अलाउंस रू0 160/– प्रति महिला कर्मचारी, मोजा अलाउंस रू0 45/–, धुलाई भत्ता रू0 85/–एवं मशीनमैन को एप्रिन अलाउंस रू0 450/– प्रतिमाह करने का निर्णय किया गया।**

मद सं. 9 निरीक्षण बोर्ड की दिनांक 25 मई, 2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VIII)** **शैक्षणिक–II**

निर्णय **स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त विषय में संबद्धता लेने पर निरीक्षण नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए निरीक्षक महाविद्यालय में भिजवाने के स्थान पर महाविद्यालय से वांछित दस्तावेज विश्वविद्यालय में ही मंगवाकर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। यदि अध्यादेश में संशोधन होना हो तो संशोधन का प्रारूप अगली बैठक में रखें।**

मद सं. 10 प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 27 दिनांक 27.11.2009 के क्रम में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 22 (3) (क) एवं (ख) के संबंध में प्रो. जे.पी. व्यास द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रारूपण पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–IX)** (परिशिष्ठ अलग से प्रेषित की जायेगी) **शैक्षणिक–I**

निर्णय **1987 से राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश लागू हैं, इनमें यदि संशोधन किया जाना है तो उसका प्रस्ताव दिया जावे।**

मद सं. 11 राज्य सरकार के वित्त विभाग की आईडी संख्या 2627/वित्त व्यय–2/07 दिनांक 22.12.2007 की सहमति से सामान्य प्रशासन ग्रुप–3 विभाग, राजस्थान सरकार के उप शासन सचिव द्वारा जारी आज्ञा क्र.प. 5 (31) सा.प्र./3/82 दिनांक 29.01.2008 के आधार पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के आवास पर दूरभाष की सुविधा के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो. के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.05.2010 के कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–X)** पर विचार करना । **सामान्य प्रशासन**

निर्णय **प्रो. के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.05. 2010 के कार्यवृत्त को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि अध्यक्ष, शिक्षक संघ/अधिकारी संघ/कर्मचारी संघ को यह सुविधा प्रदान नहीं की जावे। अध्यक्ष, छात्रसंघ के लिये निर्णय करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 12 म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम की धारा 5 (d) के प्रावधानान्तर्गत Algae Biofuel and Biomolecules Centre (ABBC) अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के प्रस्ताव **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XI)** पर विचार करना । **सूक्ष्म जीवविज्ञान**

निर्णय **म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम की धारा 5 (d) के प्रावधानान्तर्गत Algae Biofuel and Biomolecules Centre (ABBC) अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार इस निर्णय के साथ किया गया कि इसका किसी भी प्रकार का वित्तीय भार विश्वविद्यालय द्वारा वहन नहीं किया जावे।**

मद सं. 13 विश्वविद्यालय के बजट वित्त एवं लेखा नियम 1997 के नियम 156 में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जून, 2008 के मद संख्या 14 में संशोधन करते हुए S.P.C. की संस्तुतियां कुलसचिव को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया था । वर्तमान में नियंत्रण अधिकारी को ही उपक्रय समिति की संस्तुतियां अनुमोदनार्थ प्रस्तुत होगी, पर विचार करना । **सामान्य प्रशासन**

निर्णय **मद अस्वीकार किया गया।**

मद सं. 14 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 10 तथा निर्णय निम्नानुसार है– **संस्थापन**

मद– विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्क्ष द्वारा पुस्तकालय हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदो को भरने एवं पुस्तकालय हेतु आवश्य स्टाफ की आवश्यकता बाबत् दिनांक 20.11.2009 को दिये गये प्रतिवेदन **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIII)** पर विचार करना।

निर्णय– आवश्यकतानुसार प्राथमिकता बताते हुए तथा अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में रखने का निर्णय किया गया ।

उक्त निर्णय के क्रम मे पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक मदसविवि/लिब/संस्था/497 दि. 24.05.2010 द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवेदन पर विचार करना **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XII)**

निर्णय **राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद को प्रथमतः भरने का निर्णय किया गया।**

मद सं. 15 विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2009 का मद सं.12 एवं निर्णय निम्नानुसार हैः– **शैक्षणिक– I**

मद– विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10 जून,2009 के मद सं. 03 के निर्णयानुसार विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2009 की कार्यसूची में समिति की संस्तुति पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नाकिंत समिति का गठन किया गया थाः–

1. संकायाध्यक्ष कॉलेज
2. संकायाध्यक्ष विधि
3. प्रो0 के.एल.शर्मा

समिति की संस्तुतियॉ विद्या परिषद् की ओर से स्वीकार करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार उक्त समिति की दिनांक 18.08.2009 को आयोजित बैठक का कार्यवृत **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–19)** पर विचार करना ।

निर्णय– प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की ।

उपरोक्त निर्णय के क्रम में समिति की संस्तुति विचारार्थ प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIII)**

निर्णय **मद स्थगित किया गया।**

मद सं. 16 **मद–** प्रबन्ध बोर्ड की निम्नांकित निर्णय सं. 10 दिनांक 07 अक्टूबर, 2006, के क्रम में वर्ष 2003 के पुनर्मूल्यांकन में हुई हेराफेरी के प्रकरण में जितने छात्रों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है उनका छात्रवार विवरण परीक्षा अनुभाग द्वारा कुलसचिव के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। उक्त छात्रों के संबंध में प्रस्तावित की गई कार्यवाही **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XII**) विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 5 (ञ) एवं अध्यादेश 169 (H) के संदर्भ में किये जाने पर विचार करना। **परीक्षा**

<u>निर्णय सं. 10</u>

प्रबन्ध बोर्ड ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत सूचना को अभिलेखित किया। निर्णय किया कि –

(1) इस हेराफेरी प्रकरण से वास्तव में जितने छात्रों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है उनकी उपाधियाँ जारी नहीं की जावे और उनके परीक्षा परिणामों को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावे।

(2) प्रकरण में कुलपति महोदय विभागीय जांच उपयुक्त जांच अधिकारी/जांच समिति के माध्यम से कराएं जो यह सुनिश्चत करे कि अंकों में की गई हेराफेरी किस स्तर पर की गई है और इस प्रकार की हेराफेरी के लिए कौन–कौन व्यक्ति दोषी है? जांच की प्रक्रिया में आवश्यक हो तो कम्प्यूटर विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जावे ।

(3) विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर केंद्र में उपयुक्त स्टाफ और संसाधन होने के कारण परीक्षा परिणाम संबंधी संपूर्ण कार्य विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर स्टॉफ द्वारा पूर्व की भांति कराया जावे। यदि संबंधित स्टॉफ में से कोई व्यक्ति कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसकी असमर्थता को कार्य के प्रति अकर्मण्यता और संदिग्धनिष्ठा मानते हुए विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जावे।''

निर्णय– पुनर्मूल्यांकन, 2003 में हुई हेराफेरी प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट तथा विवरण अगली बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया। तब तक वर्ष 2005 एवं 2006 की उपाधियों को वस्तुस्थिति देखकर संबद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तथा विवरण **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XIV)** विचारार्थ प्रस्तुत है । (परिशिष्ठ अलग से प्रेषित की जायेगी)

निर्णय **प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तथा विवरण सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया।**

मद सं. 17 विश्वविद्यालय के टेबुलेशन रजिस्टर में हेराफेरी की शिकायत के आधार पर दिनांक 03.04.1998 को पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 42/98 दर्ज करके भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 430, 467, 471 एवं 477 में विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारी श्री राजकुमार कोची को गिरफ्तार करने के कारण विश्वविद्यालय के अध्यादेश 357 C-1(C) के प्रावधानानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1 ( ) संस्था/ मदसविवि/ 1998/1295/दिनांक 06.05.1998 द्वारा श्री कोची को निलम्बनाधीन रखा गया है । श्री कोची तब से निलम्बित हैं । उनके विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित नहीं है । अतः दर्ज मुकदमे में जो भी निर्णय हो, उस निर्णय के प्रभावशील होने की शर्त के साथ श्री कोची को बहाल किए जाने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **श्री राजकुमार कोची, निलंबित सहायक कर्मचारी को विभागीय जांच कर आरोपपत्र शीघ्र जारी करते हुए प्रकरण त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 18 माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः– **संस्थापन**

(1) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के वनस्पतिशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के एक स्वीकृत पद के विरूद्ध प्रो0 एस0 के0 माहना, विजिटिंग प्रोफेसर वनस्पतिशास्त्र विभाग की नियुक्ति अवधि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1 (73) संस्था / मदसविवि / 2009 /40118 दिनांक 18–8–2009 की निरंतरता में दिनांक 18–8–2010 से, एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाई गई । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2010 / 24393–99 दिनांक 24–7–2010 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XV)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> डॉ0 एम0 एल0 वर्मा, सेवानिवृत प्रवक्ता, हाल निवास 13/245, माइक्रोवेव टावर के पास, सुभाषनगर, अजमेर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/ 2008/51064 दिनांक 19–11–2008 एवं क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2010/7195 दिनांक 05–3–2010 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन सेवानिवृत शिक्षक के रूप में रूपये 10,000/– प्रतिमाह के मानदेय पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 08 माह अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार वनस्पतिशास्त्र विभाग में नियुक्त किया गया । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक :एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2010/ 24205–214 दिनांक 22–7–2010 जारी किया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XVI)** **संस्थापन**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

संस्थापन

(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> डॉ0 जी0 जी0 सैनी, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, 69 महावीर कॉलोनी, पुष्कर रोड़, अजमेर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19–11–08 एवं क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2010/7195 दिनांक 05–3–2010 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन सेवानिवृत शिक्षक के रूप में रूपये 10,000/– प्रतिमाह के मानदेय पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 08 माह अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार वनस्पतिशास्त्र विभाग में नियुक्त किया गया । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक : एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2010/24195–203 दिनांक 22–7–2010 जारी किया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XVII)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

संस्थापन

(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय में परीक्षा पी0 जी0, प्रोफेशनल एवं यू0 जी0 प्रोफेशनल से सम्बन्धित 185 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये जाने, सेमेस्टर परीक्षाओं एवं बी.एड. 2010 की परीक्षा 23 जुलाई से 19 अगस्त के आयोजन एवं वर्ष 2011 से सम्बन्धित परीक्षाओं के परीक्षा फार्म माह अगस्त में भरवाये जाने,, इन फार्मस की जांच व प्री कन्डक्ट वर्क आदि समस्त कार्य वर्षपर्यन्त जारी रहने एवं इन कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से समय पर करवाये जाने एवं अनुभाग में नियमित अधिकारी नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2009/9348–54 दिनांक 31–12–2009 की निरंतरता में डॉ0 जी0 एन0 माहेश्वरी, सेवानिवृत सहायक–कुलसचिव मदसविवि, अजमेर की नियुक्ति फरवरी 2011 तक बढाई गई तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2010/24166–174 दिनांक 22–7–2010 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XVIII)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

संस्थापन

(5) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर के एक एवं एसोसिएट प्रोफेसर के दो स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण प्रो. जी.एस. व्यास (सेवानिवृत्त प्रोफेसर इतिहास विभाग), 4–क–29, वैशाली नगर, अजमेर को माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार, विजिटिंग प्रोफेसर के रुप में नियुक्त किया गया तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/ मदसविवि/ 2010/23127–34 दिनांक 14.07.2010 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIX)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

संस्थापन

(6) <u>प्रतिवेदन है कि</u> डॉ0 अशोक गुप्ता, 172/3, गोखले मार्ग, स्टेट बैंक कॉलोनी के पास, अजमेर जिन्हें कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2010/2153–59 दिनांक 23.01.2010 के तहत विश्वविद्यालय में अंशकालीन आधार पर फिजिशन नियुक्त किया गया था, की नियुक्ति अवधि पूर्व में जारी आदेश के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार 06 माह हेतु और बढ़ाई गई । नियुक्ति की

समस्त शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी । इस संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/ मदसविवि/ 2010/ 2055 दिनांक 03.08.2010 जारी किया जा चुका है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XX)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(7) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 8 जनवरी, 2010 की बैठक में निर्णय सं. 17 के अनुसार महाविद्यालयों के सत्र 2009–2010 से पूर्व वर्षों की सम्बद्धता शुल्क व विलम्ब शुल्क की कुल बकाया राशि मय बकाया राशि के 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड के साथ जमा कराने की तिथि 31 दिसम्बर, 2009 निर्धारित की गई थी। जो कि प्रबन्ध बोर्ड के दिनांक 8 जनवरी, 2010 के निर्णय से पूर्व की तिथि थी। उक्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 26.05.2010 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था किन्तु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आगामी तिथि निर्धारित नहीं की गई । अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 के स्थान पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 तक मय बकाया राशि के 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड के साथ अनिवार्य रूप से जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूचनार्थ पत्रांकः एफ.14 ( )शैक्ष.।।/ मदसविवि/2010/ 27018–333 दिनांक 02.08.2010 जारी किया जा चुका है । **शैक्षणिक–II**

निर्णय **उक्त आदेश का अनुमोदन किया गया।**

(8) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> नेत्रहीन विद्यार्थियों के द्वारा दिनांक 20 जून, 2010 को प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर माननीय कुलपति महोदय ने सत्र 2010–2011 से नेत्रहीन छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रविष्ठ होने हेतु परीक्षा शुल्क से शुल्क मुक्ति के आदेश प्रदान किये है। माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांकः25328–686 दिनांक 27.07.2010 जारी किया जा चुका है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XXI)** **शैक्षणिक–II**

इसी प्रकार एड्स, थेलेसिमिया व केन्सर से रोगग्रस्त विद्यार्थियों एवं ऐसे विद्यार्थी, जिनके माता–पिता दोनों प्राकृतिक आपदाओं, आतंककारी हमलों एवं अन्य दुर्घटनाओं से परिपिड़ित हुए हैं, से भी कोई विश्वविद्यालय शुल्क नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका उल्लेख विश्वविद्यालय की विवरणिका सत्र 2010–2011 में किया जा चुका है।

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(9) <u>**प्रतिवेदित है कि**</u> राज्य सभा की याचिका समिति (Committee on Petitions of Rajya Sabha) की 131वीं रिपोर्ट की अनुशंसा दिनांक 15.12.2009 के क्रम में उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांकः एफ.87–4/2010(एसयू–।) दिनांक 28 जुलाई, 2010 के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कुष्ठ रोग पीड़ितों की आश्रित संतानों को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित रोजगारोन्मुखी एवं स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु **शैक्षणिक–II**

निशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान किये गये हैं । इस सम्बन्ध में कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ.14( ) शैक्ष.।।/ मदसविवि/2010/ 29911– 30273 दिनांक 21.08.2010 जारी किया जा चुका है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXIV)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(10) **<u>प्रतिवेदित है कि</u>** कार्मिक विभाग (ए–।।), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः एफ.7(8)डीओपी/ए–।।/2008 दिनांक 6 मई, 2010 के द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु प्रवेश एवं भर्तियों में 1 प्रतिशत आरक्षण का अतिरिक्त प्रावधान किये जाने सम्बन्धी आदेश को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत् अंगीकृत एवं लागू करने के माननीय कुलपति महोदय द्वारा आदेश प्रदान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांकः 20572–969 दिनांक 29.06.2010 जारी किया जा चुका है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXV)** **शैक्षणिक–II**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(11) **<u>प्रतिवेदित है कि</u>** कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः डी.पी.सेल/आई.सी. 1/ ए–11012/पीडीपी 66(एबी)/2009–2010/डी–71 दिनांक 08.07.2010 के द्वारा राजकीय/निजी महाविद्यालयों से विलम्ब शुल्क राशि रू. 36.35 लाख की राशि वसूल किये बिना सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में ऑडिट पैरा बनाया गया है । जिसके तहत् सत्र 2003 से 2009–2010 तक सम्बद्धता प्राप्त 72 राजकीय/निजी महाविद्यालयों को सम्बद्धता एवं विलम्ब शुल्क की वसूली किये बिना सम्बद्धता प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालयों की पत्रावलियों के परीक्षण के आधार पर ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । **शैक्षणिक–II**

प्रकरणों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार के सत्र 2003–04, 2004–05 व 2005–06 में विलम्ब शुल्क से मुक्ति के प्रदत्त निम्नांकित आदेशों की अनुपालना में महाविद्यालयों को विलम्ब शुल्क से माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार छूट प्रदान की गई थी, किन्तु महालेखाकार द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के द्वारा माननीय कुलपति महोदय के निर्णय प्रतिवेदित नहीं होने को आधार मानकर ऑडिट पैरा बनाये गये हैं ।

अतः सत्र 2003–04, 2004–05 व 2005–06 में राज्य सरकार के आदेशों के तहत् माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित आदेश प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है :

1. **<u>प्रतिवेदित है कि</u>** शासन सचिव (उच्च शिक्षा), शिक्षा ग्रुप–4 विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांकः प. 14 (1) शिक्षा–4/2002 पार्ट दिनांक 4.01.2003 के अनुसार विश्वविद्यालय से समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सत्र 2003–04 के लिये नवीन विषय/महाविद्यालय के आवेदन पत्र बिना विलम्ब शुल्क दिनांक 15 मई, 2003 एवं विलम्ब शुल्क

सहित दिनांक 30.06.2003 तिथि नियत किये जाने हेतु प्राप्त आदेशों के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 23.01.2003 को आदेश प्रदान किये गये । जिसके क्रम में विश्वविद्यालय पत्रांकः 2598–2787 दिनांक 20.03.2003 समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूचनार्थ जारी किया गया एवं तद्नुसार सम्बद्धता शुल्क प्राप्त कर सम्बद्धता प्रदान की गई।

2. इसी प्रकार सत्र 2004–05 हेतु प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), शिक्षा ग्रुप–4 विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांकः प.2(3)शिक्षा–4/2003 दिनांक 9.07.2004 के अनुसार विश्वविद्यालय से समस्त सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जिन निजी महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, के सम्बद्धता आवेदन पत्र बिना विलम्ब शुल्क लिये ही प्राप्त किये जाये । अतः राज्य सरकार के उक्त आदेशों के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 17.7.2004 को सत्र 2004–05 में नवीन महाविद्यालयों हेतु बिना विलम्ब शुल्क सम्बद्धता के आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये एवं तद्नुसार सम्बद्धता शुल्क प्राप्त कर सम्बद्धता प्रदान की गई।

3. इसी प्रकार सत्र 2005–06 हेतु प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनिकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांकः F.1( )HE/PS/2005 दिनांक 5.07.2005 के अनुसार सत्र 2005–06 के लिये नवीन महाविद्यालयों हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लेगिंग एरिया (Lagging Area) वाले नवीन महाविद्यालयों से निर्धारित सम्बद्धता शुल्क ही लिया जाये, ऐसे महाविद्यालयों से बिना विलम्ब शुल्क सम्बद्धता के आवेदन स्वीकार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया । राज्य सरकार के उक्त आदेशों के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय द्वारा लेगिंग एरिया (Lagging Area) वाले नवीन महाविद्यालयों से सत्र 2005–06 के लिये बिना विलम्ब सम्बद्धता के आवेदन स्वीकार करने के दिनांक 12.07.2005 को आदेश प्रदान किये गये एवं तद्नुसार सम्बद्धता शुल्क प्राप्त कर सम्बद्धता प्रदान की गई।

4. इसी प्रकार सत्र 2005–06 के लिये नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु सम्बद्धता का आवेदन निर्धारित शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क (बिना विलम्ब शुल्क) विश्वविद्यालय को भिजवाने की अन्तिम तिथि 31.05.2005 निर्धारित की गई । उपरोक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांकः 3368 दिनांक 18.03.2005 जारी किया गया एवं तद्नुसार सम्बद्धता शुल्क प्राप्त कर सम्बद्धता प्रदान की गई। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXV-A)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

मद सं. 19 प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में भाग लेने हेतु देय सिटिंग चार्जेज पर विचार करना । **शैक्षणिक–I**

निर्णय **प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में भाग लेने हेतु देय सिटिंग चार्जेज तथा प्रबंध बोर्ड से नियुक्त किसी बैठक में प्रबंध बोर्ड के माननीय सदस्य को उस बैठक में मनोनीत करने पर प्रबंध बोर्ड के माननीय सदस्य को सिटिंग चार्जेज के रूप में 1000/– अक्षरे राशि एक हजार रू0 मात्र देय होगी। एक दिन में एक या एक से अधिक बैठक होने पर भी रू0 1000/– सिटिंग चार्जेज ही देय होंगे।**

मद सं. 20 सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पत्रांकः एफ. 3–1/2001 दिनांक 30 जून, 2010 के द्वारा UGC Regulations for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 के सम्बन्ध में नवीन मानदण्ड तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं। उक्त मानदण्डों में महाविद्यालयों के लिये प्रोफेसर, असोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष, महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्यताएं, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, अवकाश नियमों के प्रावधानों के साथ संलग्न अपेंडिक्स I में संशोधित वेतनमान, अपेंडिक्स II में फिटमेंट बेनिफिट एवं अपेंडिक्स III में परफॉरमेंस बेस्ड असेसमेंट स्कीम(पीबीएएस), एन्यूअल परफॉरमेंस इंडिकेटर(एपीआई) फॉर डाईरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन अण्डर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का प्रावधान किया गया है। **शैक्षणिक–II**

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी उक्त विनियमों को विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु अंगीकृत एवं मान्य किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXII)**

निर्णय **विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी यू.जी.सी. रेग्यूलेशन, 2010 को संबद्ध महाविद्यालयों में लागू करने हेतु अंगीकृत एवं मान्य करने के लिए प्रो0 रमाकांत के संयोजकत्व में एक समिति गठित करने का निर्णय किया गय। समिति में प्रो0 पी.एस.वर्मा सदस्य तथा उप कुलसचिव, संस्था सदस्य सचिव होंगे। समिति अपनी अनुशंषा प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।**

मद सं. 21 अनुभागाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा पत्रांकः प.18( )शिक्षा–4/ 2010 दिनांक 25.05.2010 के साथ संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांकः एफ. 1–7/2007(सीपीपी–।) दिनांक 29 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रेषित UGC (Affiliation of Colleges by Universities) Regulations, 2009 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में लागू करने हेतु भिजवाये गये हैं। **शैक्षणिक–II**

उक्त विनियम विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों एवं सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालयों पर प्रभावी होगें एवं भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी, 2010 के द्वारा अधिसूचित एवं तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं ।

अतः उक्त विनियमों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये सत्र 2010–2011 से लागू करने हेतु अंगीकृत एवं मान्य करने पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXIII)**

निर्णय **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी यू.जी.सी. रेग्यूलेशन, 2009 को संबद्ध महाविद्यालयों तथा संबद्धता चाहने वाले महाविद्यालयों में लागू करने हेतु अंगीकृत एवं मान्य करने के लिए प्रो0 रमाकांत के संयोजकत्व में एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया। समिति में प्रो0 पी.एस.वर्मा सदस्य तथा उप कुलसचिव, शैक्षणिक–द्वितीय सदस्य सचिव होंगे। समिति अपनी अनुशंषा प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।**

मद सं. 22 **संस्थापन**

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते नियम के नियम सं. 22. fixation of pay of retired persons on re-employment और नियम सं. 23. drawl of increments जो निम्नानुसार हैं, में जहाँ–जहाँ राशि रू.8000/– प्रति माह रखी गई है उसको प्रबंध मंडल के निर्णय संख्या 17 दिनांक 14–07–2000 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार रूपये 26,000/– किया जा चुका है और इस बाबत कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2000/11357–61 दिनांक 16–9–2000 जारी किया जा चुका है । इस राशि को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किए जाने के फलस्वरूप अधिकारी सेवा एवं शिक्षक सेवा के न्यूनतम वेतनमान की राशि के समान रू. 80,000/– प्रतिमाह दिनांक 1.1.2006 से किये जाने पर विचार करनाः–

22. Fixation of pay of retired persons on re-employment :

The pay of a person who has retired on Superannuation or Retiring Pension consequent to appointment or re-appointment in the University shall be fixed at the minimum of the pay scale of the post on which he is appointed/re-appointed with such other allowances admissible as per University rules unless the Vice-Chancellor is convinced that (a) no person is available on the initial of the pay scale of the post concerned; (b) it will be hardship for such an appointee to be fixed at the minimum of the scale. In such cases the pay may be fixed on the basis of the last pay drawn by him less the retirement benefits/pension benefits admissible to the person concerned in such a way that the total emoluments now admissible do not exceed the emolument drawn by him last, and further subject to the condition that pay so fixed plus gross pension taken together shall not exceed Rs.8000/-* per month.

23. Drawal of increments :

The re-employed person shall be allowed to draw normal incremetns in the time scale of the post to which he is appointed provided that the pension and gross pension taken together do not at any time exceed Rs.8000/-* per month.

* Replaced by Rs. 26000/- vide office order No. एफ.1 ( ) म.द.स.वि.वि./11357–61 दिनांक 16–9–2000

निर्णय **इस प्रकार के प्रकरण को जब कार्यरूप दें तब प्रबंध बोर्ड की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी।**

मद सं. 23 विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि के नियम 14 (2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 05.08.2010 के कार्यवृत्त पर विचार एवं निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXVI)** **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि के नियम 14 (2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 05.08.2010 के कार्यवृत्त को स्वीकार किया गया।**

मद सं. 24 विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक (उच्च तकनीक प्रयोगशाला) द्वारा, अन्य विभागों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को दिए जा रहे एक वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश एवं अवकाश की अवधि में कार्य पर बुलाने पर वैकेशनल स्टाफ की भांति नियमानुसार देय अवकाश दिए जाने के अनुसार ही, अवकाश स्वीकृत किए जाने की मांग पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXVII)** **संस्थापन**

निर्णय **अन्य विभागों में क्या प्रक्रिया है, आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया।**

मद सं 25 प्रशासनिक अधिकारी संघ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में, जिसमें नियमित चयनित अधिकारियों को सेवा के 10 वर्ष पूर्ण होने पर, सहायक–कुलसचिव का वेतनमान रूपये 8000–13500 के स्थान पर रूपये 10,000–15,600 एवं उपकुलसचिव का वेतनमान रूपये 10,000–15,600 के स्थान पर 12,000–18,300 किए जाने के निवेदन पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXVIII)** **संस्थापन**

निर्णय **मद स्थगित किया गया।**

मद सं 26 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर सहायक कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों के सन्दर्भ में दिनांक 03–6–2010 से क्रमिक धरने का आयोजन किया जा रहा था । माननीय कुलपति महोदय के साथ संघ के प्रतिनिधियों की हुई वार्ता के बाद कर्मचारी संघ ने अपना धरना दिनांक 21–8–2010 को समाप्त कर दिया है । माननीय कुलपति महोदय ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि वे उनकी निम्नांकित मांगों को प्रबन्ध बोर्ड़ के विचारार्थ रख देंगे :– **संस्थापन**

<u>मांग संख्या 01:–</u> ऐसे सहायक कर्मचारियों को जिन्हें 06–12–95 को तदर्थ नियुक्ति देकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनके भविष्य निधि की कटौती, वेतन वृद्धि तथा अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, कर्मचारी संघ यह मांग करता है कि इस श्रेणी में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 9,18,27 का लाभ नियुक्ति तिथि से देने के आदेश प्रदान करावें ।

मांग संख्या 01 के संबंध में तथ्यात्मक विवरण **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXIX)** के अनुसार है ।

मांग संख्या 02:– विश्वविद्यालय में रिक्त पडे कनिष्ठ लिपिक के पदों पर योग्यताधारी सहायक कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे ।

मांग संख्या 02 के संबंध में तथ्यात्मक विवरण **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXX)** के अनुसार है ।

मांग संख्या 05:– विश्वविद्यालय में ऐसे दैनिक वेतनभोगी सहायक कर्मचारी जिनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं अथवा जिनको न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियुक्ति दी है ऐसे सभी सहायक कर्मचारियों का समायोजन वेतन श्रृंखला के न्यनूतम पर किया जाकर (देय सभी लाभों सहित) तात्कालिक राहत प्रदान करने के आदेश प्रदान करावें ।

मांग संख्या 05 के संबंध में तथ्यात्मक विवरण **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXXI)** के अनुसार है ।

अतः उपर्युक्त मांगों पर तथ्यात्मक वस्तुस्थिति के विवरण के साथ विचार करना ।

निर्णय

मांग संख्या 01 :– सहायक कर्मचारियों के नये पद सृजन के लिये राज्य सरकार को पत्र लिखने का निर्णय किया गया। नये पद सृजन से होने वाले वित्तीय भार को पूर्व की भांति ही विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा।

मांग संख्या 02 :– विश्वविद्यालय में सहायक कर्मचारी जो पदोन्नति हेतु पात्रता रखते हैं, उनकी संख्या ज्ञात की जावे तथा वांछित जानकारी प्राप्त कर तथ्यात्मक सूचना प्राप्त कर अगली बैठक में पदों का अनुपात तय किया जायेगा ।

मांग संख्या 05:– प्रथमतः ऐसे दैनिक वेतनभोगी सहायक कर्मचारी न्यायालय में दायर अपने वाद वापिस लें, तत्पश्चात उनके प्रकरणों पर कार्यवाही की जावेगी।

मद सं 27 विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरे जाने हेतु प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकृत अधिकारी बाबत स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने के कारण वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरे जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था किए जाने बाबत विचार करना । **संस्थापन**

अशैक्षणिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरे जाने बाबत व्यवस्था

क्र. सं.	पद	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
1.	राजपत्रित अधिकारी (प्रतिनियुक्त) (क) कुलसचिव व वित्त नियंत्रक (ख) लेखाधिकारी व सहायक लेखाधिकारी (ग) सहायक अभियन्ता/एच0 एल0 ए0	 कुलपति वित्त नियंत्रक कुलसचिव	 —— कुलपति कुलपति	 राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार
2.	अराजपत्रित कार्मिक (प्रतिनियुक्त)	नियंत्रक अधिकारी	कुलपति	राज्य सरकार से संबंधित विभागाध्यक्ष
3.	सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव/एसीपी (जिनके नियंत्रक अधिकारी परीक्षा नियंत्रक हैं)	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति
4.	सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव (जिसके नियंत्रक अधिकारी वित्त नियंत्रक हैं)	वित्त नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति
5.	परीक्षा नियंत्रक/अतिरिक्त कुलसचिव शेष सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव	कुलसचिव	——	कुलपति
6.	कनिष्ठ लिपिक संवर्ग से अनुभागाधिकारी संवर्ग तक के कार्मिक	नियंत्रक अधिकारी	कुलसचिव	कुलपति

निर्णय **सत्र 2010–11 से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरे जाने बाबत नया प्रपत्र बनाने का निर्णय किया। इसके लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं 28 विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक–कुलसचिवों, जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण कर ली है, को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की भांति, उपकुलसचिव पद पर अपग्रेड़ करते हुए रनिंग पे बैंड पी बी–3 रूपये 15600–39100 + ग्रेड पे रूपये 6600 (टेबिल नंबर 27) दिए जाने की अधिकारी संघ एवं कार्यरत सहायक–कुलसचिवों की मांग पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXXII)** **संस्थापन**

निर्णय **प्रथमतः उक्त प्रकरण को बी.एफ.सी. में रखने का निर्णय किया गया।**

मद सं 29 प्रबंध बोर्ड़ की बैठक दिनांक 26–5–2010 में मद संख्या 30 पर निर्णय लिया गया कि 'प्रबंध बोर्ड़ की 68 वीं बैठक दिनांक 08–01–2010 के मद संख्या 06 की अनुपालना में प्रो0 रमाकान्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26–5–2010 की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया । अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में अगर कोई नियम संबंधी कठिनाई हो तो निराकरण हेतु प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जावे ।' अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय के पैंशन नियम 1990 के विनियम 2 : Scope and Application के बिंदु (ii) के बाद दर्शित **Provided that these regulations shall not apply to :** में वर्णित (a) (b) व (c) को यथावत रखते हुए (d) में संशोधन व (e) बिंदु निम्नानुसार नया जोड़ा जाना विचारार्थ प्रस्तुत है : **संस्थापन**

Existing Provision	Proposed amendments
Provided that these regulations shall	Proposed Amendment Provided that these

not apply to : (a) Persons employed on contract or part- time basis. (b). Persons on deputation to the University. (c) Purely temporary and daily wages staff. (d) Reemployed Pensioners..	regulations shall not apply to : (a) Persons employed on contract or part-time basis. (b) Persons on deputation to the University. (c) Purely temporary and daily wages staff. (d) Reemployed Pensioner- A person who, after having retired on superannuation & is subsequently re-employed. (e) Persons employed on or after the1st day of January 2004.

निर्णय **प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने का निर्णय किया गया।**

मद सं 30 उप सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पत्रांक : File No. 49-4/ 2010/PT/NCTE(N&S) दिनांक 9 अगस्त, 2010 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि संशोधन विनियम, 2010 की सम्बन्धित अधिसूचना हेतु जारी राजपत्र की प्रति प्रेषित की गई हैं । जिसके तहत् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि संशोधन विनियम, 2009 के प्रावधानों में संशोधन किया गया हैं । **शैक्षणिक–II**

उक्त संशोधन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त बी.एड़. महाविद्यालयों में अंगीकृत एवं प्रवृत्त किये जाने पर विचार करना । **(परिशिष्ठ–XXXIII)**

निर्णय **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि संशोधन विनियम, 2009 के प्रावधानों में संशोधन किया गया हैं ।**
उक्त संशोधन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त बी.एड़. महाविद्यालयों में अंगीकृत एवं प्रवृत्त किये जाने का निर्णय किया गया परंतु इन महाविद्यालयों में प्राचार्य पद की अधिकतम आयु राज्य सरकार के नियमानुसार ही मान्य होगी।

मद सं 31 विश्वविद्यालय के कार्मिक (स्व.) श्री पी एस तोमर, पूर्व अनुभागाधिकारी तथा स्व. श्री अशोक कुमार शर्मा पूर्व सहायक कर्मचारी सेवारत रहते हुए गंभीर बीमारी के कारण हॉस्पीटलाइज़ेशन के दौरान ही देहांत हो जाने के फलस्वरूप आश्रित परिवारजन द्वारा चिकित्सा परिचर्या पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत बिलों की राशि क्रमशः रू. 90351.00 तथा रू. 59397.00 मात्र का पुनर्भरण किए जाने हेतु संलग्न तथ्यात्मक विवरण **(परिशिष्ठ–XXXIV)** में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर विचार कर अनुमति प्रदान कराया जाना।

निर्णय **स्व. श्री पी.एस.तोमर, अनुभागाधिकारी एवं स्व. श्री अशोक शर्मा, सहायक कर्मचारी के चिकित्सा परिचर्या पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत बिल विश्वविद्यालय के चिकित्सा नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत करें एवं उनमें से कितनी राशि जो वि.वि. के मेडिकल रूल्स के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है, का आंकलन कर कुलपति महोदय के विवेकाधीन फंड से दी जा सकती है।**

मद सं. 32 प्रबन्ध बोर्ड के द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के तहत विश्वविद्यालय के निर्मित भवनों, निर्माणाधीन भवनों एवं परिसर की पुख्ता सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान में कुल 87 सुरक्षाकर्मी कार्यरत हैं । आगामी समय में शीघ्र ही विभिन्न भवन विश्वविद्यालय के हवाले होने वाले हैं एवं ''सचिव तेन्दुलकर स्टेडियम'' के विकास कार्य भी तीव्रगति से होने वाले हैं । जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मैच करवाना भी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी । अतः भावी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए उक्त संख्या में 13 और सुरक्षाकर्मी (भूतपूर्व सैनिक) बढ़ाकर परिवतर्तित संख्या 100 पर बेहतर नियंत्रण (कमाण्ड/कन्ट्रोल/अनुशासन एवं प्रशिक्षण आदि) के दृष्टिकोण से एक योग्य भूतपूर्व सैनिक (जे.सी.ओ. रैंक) बतौर सुरक्षा अधिकारी संविदा पर किसी सक्षम एजेन्सी अथवा सैनिक बोर्ड से लिए जाने पर विचार करना ।

मुख्य कुलानुशासक

निर्णय **भावी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए वर्तमान संख्या के अतिरिक्त पांच सुरक्षाकर्मी एवं एक बतौर सुरक्षा अधिकारी रखने का निर्णय किया गया।**

बैठक में सोफिया कन्या महाविद्यालय, अजमेर से प्राप्त प्रार्थनापत्र जो कि स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय का 60 सीटों का एक सेक्शन खोलने से संबंधित है पर बोर्ड ने विचारविमर्श कर निर्णय किया कि महाविद्यालय को योग्य फैकल्टी नियुक्त करने हेतु तीन महिने का समय देते हुए संबद्धता प्रदान की जावे।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कुलपति **कुलसचिव**